



# विक्रम विश्वविद्यालय, सज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 53

दिनांक 31/5/17

प्रति,  
प्राचार्य,  
जय नरसिंह कॉलेज ऑफ एज्युकेशन,  
भागलपुर जिला-सज्जैन।

**विषय :** विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिशिष्ट क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

**संदर्भ :-** महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन क्रमांक / 17 दिनांक 07.07.2017

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत नवीन संकाय / स्टाफ / सीट संख्या वृद्धि की जाने / सम्बद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.05.2017 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि जय नरसिंह कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, (भागलपुर जिला)-सज्जैन में सत्र 2017-18 से प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार उक्त महाविद्यालय को सत्र 2017-18 से प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्रदान करने हेतु निरीक्षण समिति द्वारा गठित कमिटी की पूर्ण दोपहर में पूर्ण करने हेतु पत्र के आधार पर नितांत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाये।

उक्त बैठक के निर्णय के अनुरोध में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये अद्यतन पत्र के आधार पर को निम्न परिणामानुसार सत्र 2017-2018 से शर्तों के अधीन कार्यवाही के अनुसंधान को प्रत्याशा में नितांत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.एड.-प्रथम वर्ष	30
<b>शर्तें :-</b>		
01.	विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.05.2017 न दिनांक 27.05.2017 का पालन करवा सुनिश्चित करें।	
02.	मनोविज्ञान प्रयोगशाला का उन्नयन किया जाये।	
03.	परिशिष्ट क्रमांक 28 के अन्तर्गत चयन की प्रक्रियानुसार चयन एवं शिक्षकों के चयन अनिवार्य रूप से कराया जाये, अन्यथा सम्बद्धता पर कुल संकाय वृद्धि नहीं किया जायेगा।	
04.	पुस्तकालय में पाठ्यक्रम से संबंधित पत्र पत्रिका में नवीन किताबें खरीदी जायें।	
05.	आधुनिक शैक्षणिक तकनीकी उपकरणों का संधारण किया जायें।	
06.	विश्वविद्यालय के परिशिष्ट क्रमांक 28(3) (1) के अनुसंधान (रुपय 50000) की इंग्लैमेंट फण्ड की धनराशि की राशि (रु. 25,00,000) को अर्थात् पचास हजार फुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, सज्जैन द्वारा सहायता के माध्यम से प्राप्त करें। यदि उपरोक्तानुसार एक ही बार पूर्ण में प्रदान करा न जायें तो शर्तों प्रस्तुत करें।	